



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2.4.1

Number of full time teachers against sanctioned posts during the year.

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Summary-Sheet

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation	
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality	
Metric	2.4.1: Full time teachers against sanctioned posts during the year	
Full time teachers and sanctioned posts	Year	2023-24
	No. of full time teachers	80
	No. of sanctioned posts	91


Note:

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

Description	Relevant link
1) Breakup of sanctioned post and filled post for AY 2023-24 attested by principal is attached. (Appendix-I)	https://dpvipracollege.ac.in/aqar-2023-24/
2) List of faculty members authenticated by head of institute is attached for AY 2023-24. (Appendix-II)	
3) Appointment letter of faculty members is attached as per above list. (Appendix-III)	


IQAC Co-ordinator
D.P. Vipra College
BILASPUR (C.G.)

IQAC Coordinator


PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)
Principal



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

2023-24

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

PHONE : 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

2.4.1 & 2.4.3 Average teaching experience of full time teachers in the same institution (Data for the latest completed academic year in number of years)

2023-24

Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	PRINCIPAL	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	34	YES
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	41	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	40	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	25	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	21	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	21	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	21	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	21	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	21	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	21	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	21	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	21	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	21	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	21	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	21	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	21	YES

DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	21	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	21	YES
MRS. SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	21	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	21	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	21	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	21	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AIJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	21	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	21	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	21	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	21	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	21	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	21	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	21	YES
MR. VISHWAS VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	7	YES
Dr. RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	7	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	HINDI	7	YES
DR. BIJOY KARMAKAR	BCWPK1093C	ASST. PROFESSOR	2023	PERMANENT	MANAGEMENT	1	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	8	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	6	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	BOTANY	14	YES
MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	6	YES
MISS. ANUPAMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	6	YES
MR. BRIJESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	5	YES
MR. BHAGVAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	7	YES
MISS.PRACHI TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	6	YES


MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	7	YES
MR. GENDLAL BANJARE	CCPPB0172H	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	6	YES
MISS. ANJALI SONA	GNUPS4527K	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MR. ISHWAR SURYAWANSHI	DOMPS5036D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MISS. VARSHA SINGH	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
PROF. ABHILASHA SINGH	AXSPT6963C	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MR. DEEPAK KU. KASHYAP	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	3	YES
MR. SARVESH DEEP	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	3	YES
MISS. SHIKHA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	3	YES
MR. PRAKASH CHATURVEDI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	3	YES
MISS. KANCHI BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ENGLISH	3	YES
MRS. JYOTI TIWARI	BEBPD1050D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	HINDI	2	YES
MRS. ABHA BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	ECONOMICS	4	YES
MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	DDSPM8989J	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	2	YES
MR. TIKAM SINGH RAJPUT	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	2	YES
MISS. NIDHI DANIKAR	GIGPD5560N	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	2	YES
MISS. ROSHNI SONI	GAXPS4476K	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	2	YES
MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	BVTPC2233A	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	2	YES
MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	AYKPT6025E	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	BIO CHEMISTRY	2	YES
MR. ABHILASH AWASTHI	AYYPA0582D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MANAGEMENT STUDIES	2	YES
MISS. PRASHANSA YADAV	FFJPP3251P	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	2	YES
MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
MISS. DEEKSHA DEWANGAN	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	2	YES
MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	2	YES

MISS. SAVITA VISHWAKARMA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	SOCIOLOGY	2	YES
MRS. SANCHITA PANDA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	BOTANY	2	YES
MR. LOKESH KUMAR VERMA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	HINDI	2	YES
MRS. ANJU TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	2	YES
MR. SUCHIT DUBEY	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	HINDI	2	YES
MISS. SHARDA KATAILHA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ELECTRONICS	2	YES
MR. KUNDAN KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	PHYSICS	2	YES
MISS. SHIVANI MISHRA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	PHYSICS	2	YES
MISS. SWASTIKA JAISWAL	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MISS. ANJU KAMLESH	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
MR. PRAMOD KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	2	YES
MR. ANKIT BANARJEE	NA	ASST. PROFESSOR	2023	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MR. RAHUL SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2023	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MRS. MEGHA DABADHAKR	NA	ASST. PROFESSOR	2023	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES

Average Percentage of full time teachers against sanctioned post during the last five years

percentage per year = (Number of full time teachers)/(Number of Sanctioned Post)*100

year	Number of Full Time Teachers	Number of Sanctioned Post	Percentage per year
2023-24	80	91	87.91
Average Percentage : \sum percentage per year/5			17.58


Principal
 D. P. Vipra College,
 Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
 D.P. Vipra College
 Bilaspur (C.G.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix I

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Letter No./ 288/Estb/Post/2023-24

Bilaspur, Date 22/07/2023

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the session 2023-24

S.No.	Post of Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Microbiology	4
11	Asst. Prof. Botany	4
12	Asst. Prof. Zoology	4
13	Asst. Prof. Maths	4
14	Asst. Prof. Physics	5
15	Asst. Prof. Chemistry	7
16	Asst. Prof. Electronics	2
17	Asst. Prof. Computer Science	10
18	Asst. Prof. Public Administration	2
19	Asst. Prof. Biochemistry	2
20	Asst. Prof. Biotechnology	2
21	Asst. Prof. Management	3
Grand Total		91

* Excluding the post of Principal, 91 posts of Assistant Professor approved.

Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

Chairman
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix II

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

GRANT RECEIVED ASST.PROFESSOR LIST

SESSION- 2023-2024

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. ANJU SHUKLA	PRINCIPAL	SOCIOLOGY
2	DR. VIMAL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
3	DR. SADHANA SHOME	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
4	DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH


Principal
D. P. Vipra College,
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

NON- GRANT RECEIVED ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2023-2024

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. R.N. YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
2	DR. M.L. JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
3	DR. VIVEK AMBALKAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
4	DR. TARU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	DR. SUSHMA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
6	DR. KHAGENDRA SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
7	DR. SUNITA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
8	MR. A. SRI RAM	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
9	MR. JAYANTA ROY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
10	DR. MANISH TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
11	DR. RENU NAYAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
12	DR. OORJA RANJAN SINHA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
13	DR. ASHISH SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
14	DR. M.S. TAMBOLI	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
15	MRS. SNEHLATA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
16	DR. SHUBHRAJA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
17	MRS. SHRITI SOMVANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
18	MR. DEEPAK TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
19	MR. NIDHISH CHOUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS
20	DR. RASHMI SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
21	DR. ABHA TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
22	DR. AASHUTOSH PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
23	DR. SIKHA PHARE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
24	DR. SMRITIRANI PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
25	MRS. TOSHIMA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
26	MR. VISHWAS VICTOR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
27	DR. RICHA HANDA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
28	DR. SURUCHI MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
29	DR. BIJOY KARMAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT


Principal
D. P. Vipra College,
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST SESSION- 2023-2024

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. KIRAN DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
2	MR. PRADEEP JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
3	MR. YUPESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
4	MR. BRIJESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
5	MR. ISHWAR SURYAWANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
6	MRS. ANUPAMA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
7	MISS. VARSHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
8	MISS. ANJALI SONA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
9	MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
10	MRS. ABHILASHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
11	MR. RUPENDRA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
12	MR. DEEPAK KU. KASHYAP	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
13	MR. MOTILAL PATLE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
14	MISS. PRACHI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
15	MR. GENDLAL BANJARE	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
16	MR. SARVESH DEEP	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
17	MISS. SHIKHA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
18	MR. PRAKASH CHATURVEDI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
19	MISS. KANCHI BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
20	MRS. JYOTI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
21	MR. BHAGWAT KAUSHIK	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
22	MRS. ABHA BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
23	MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
24	MR. TIKAM SINGH RAJPUT	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
25	MISS. NIDHI DANIKAR	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
26	MISS. ROSHNI SONI	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
27	MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
28	MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	ASSISTANT PROFESSOR	BIO CHEMISTRY
29	MR. ABHILASH AWASTHI	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
30	MISS. PRASHANSA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
31	MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
32	MISS. DEEKSHA DEWANGAN	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
33	MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
34	MISS. SAVITA VISHWAKARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
35	MRS. SANCHITA PANDA	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
36	MR. LOKESH KUMAR VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
37	MRS. ANJU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

38	MR. SUCHIT DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
39	MISS. SHARDA KATALIHA	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS
40	MR. KUNDAN KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
41	MISS. SHIVANI VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
42	MISS. SWASTIKA JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
43	MISS. ANJU KAMLESH	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
44	MR. PRAMOD KUMAR NARESH	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
45	MR. ANKIT BANARJI	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
46	MR. RAHUL SAHU	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
47	MRS. MEGHA DABHADKER	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE


Principal
D. P. Vipra College,
Bilaspur (C.G.)

Principal
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)



**D.P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR**
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

Appendix III

D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur

Chattisgarh, India 495001

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVINDING BODY,
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.
(406001.)

ORDER

No. 273/Estt/83, dated Bilaspur, the 15th August 1983.
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection
Committee, as a Lecturer in Geography in an official capacity,
in this college until further orders in the sanctioned scale of
pay of Rs. 700-1600 with usual dearness allowance, with effect
from the 18th August 1983 subject to the following conditions

- (1) That the appointment is subject to the approval
of the M.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal,
and the Guru Ghasidas University, Bilaspur
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable
to the employees of the D.P. Vipra College,
Bilaspur.

Self
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary,
D.P. Vipra College,
Bilaspur.

No. 273/Estt/83., dated Bilaspur, the 12th August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,
Bilaspur, for information and necessary action. He will please
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his
agreement to the above terms and conditions. Joining report
may also please be submitted in triplicate.
Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla
(R.N. Shukla.)
Principal & Secretary.

[Signature]

स्थायी खाता संख्या

(PERMANENT ACCOUNT NUMBER)

AGRPPS200C

नाम NAME

VINAL KUMAR PATEL

पिता का नाम FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर SIGNATURE




आयुक्त, आय. वि. वि. वि.

COMMISSIONER OF INCOME TAX

कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर, म०५०.

क्रमांक 381/स्था/84 • बिलासपुर, दिनांक 23/11/84

निम्न लिखित अभ्यार्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर वेतनमान 700-40-1100-3-1300 असेसमेंट-50-1600 पर रुपये पर देय मंडगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता सप्लिड, पदभार ^{75 रु. पर} करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक अभ्यार्थी का नाम पद नाम विषय

- 1. कु. साधना बोल व्याख्याता समाजकारण
- 2. श्रीमती मधु दोराईराज ---"--- - शोध
- 3. ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी।

- 1. म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होगी।
- 2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होगी।

एवं

उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उक्त अभ्यार्थी शासित रहेंगे।

प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,
म०५० विष्णु महावि० बिलासपुर.

प. क्रमांक 381-D/स्था/84 • दिनांक ---
प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान् सचिव, म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।
- 2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्वासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
- 3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचना।
- 4. कुमारी साधना बोल, द्वारा श्री बी.के. बोल, प्लॉटर नं. 536/4, आर.टो.पत.कालोनी, बिलासपुर।
- 5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा श्री एम.बी. दोराईराज, डिप्टी चोक इंजीनियरिंग कॉला नं. 1048, रेलवे कालोनी, बिलासपुर।

को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

प्राचार्य एवं सचिव,
प्रशासन समिति,
म०५० विष्णु महावि० बिलासपुर

(G) (3)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME
BIMAL KUMAR BOSE

01/07/1962

Permanent Account Number
AVRPS0169E

S. Sadhana Shome

Signature



In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTIISL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

यदि कार्ड खो जाने पर कृपया सूचित करें/सीटाए :
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIISL
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सीडी बेलपुर,
नवी मुंबई - 400 614.

आदेश

प्रमाणिका/स्था/१०

बिलासपुर, दिनांक - 14 - 11 - 90

इस महाविद्यालय को पयन सौंगित द्वारा पयन किये गए पदाभिभाषी
श. अशु तिवारी, जिनको नियुक्त प्रशासन समिति को बैठक दिनांक- 12-11-90
में अनुमोदित भी गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. एस. के. शर्मा के निवृत्त से
निरस्त सुधे नियमित पद पर समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत महा-प्राध्यापक के
पद पर, म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन की प्रत्यागा में 13-11-90
यु.पी.सी. वेतन मान 2200-75-2800-100-4000 के अंतिम प्रारीम्भ वेतन तथा
अन्य द्वारा किये जा रहे मंजूर भत्ता के साथ एक वर्ष के लिये पी.पी.सी. पर
नियुक्त किया जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्त किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारी
द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने की नोटिस देकर समाप्त की जा
सकती है।
2. यह नियुक्त सभी गान्य होगी, जब श. अशु तिवारी पांच रुपये के अन्यायक
मुद्रांक पर नियमित प्रथम पर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेंगे, जो
संशोधन के सी.डी. की शर्तों को बंधित करता है।
3. श. अशु तिवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित
होगे, जो महाविद्यालय के कर्मचारियों को अर्थात् सेवा की शर्तों, पालन
एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार




प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. प्रसाद महाविद्यालय,
बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

पुस्तकालय प्रमाणिका/स्था/१०

प्रतीतिप:-

1. श्रीमान् सौध म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन
है कि नियुक्त का अनुमोदन के निश्चयाने का कस्ट करें।
2. कुशापव- सुक घासीदास विद्यापीठ बिलासपुर को सुपनाथ।
3. श. अशु तिवारी- श्री हलधर प्रसाद तिवारी ग्राम पास्ट बमोरा तख्तित
जाजगौर जिला बिलासपुर को सुपनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु औपस्थ।
दृष्टा अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करें।

प्रभारी प्राचार्य,
श्री. पी. प्रसाद महाविद्यालय,
बिलासपुर

स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER	
AEPPS2610M	
नाम / NAME	
ANJU SHUKLA	
पिता का नाम / FATHER'S NAME	
HAALAD PRASAD SHUKLA	
जन्म तिथि / DATE OF BIRTH	
30-06-1981	
हस्ताक्षर / SIGNATURE	
	आयकर आयुक्त, जबलपुर COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(7522 + 02W)

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विपु महाविद्यालय, बिलासपुर। म.पु. ॥

आदेश क्रमांक - 10 - स्था. 97

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी हेतु वयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद ~~प्रति~~ पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते हैं :-

॥ 1 ॥ उनकी जन्म तिथि ~~10.10.1965~~ ^{10.10.1965} है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पुरा महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प. प्रशासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

॥ 2 ॥ उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

॥ 3 ॥ श्री संजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेम्नीटी स्टाप्प बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई ~~पुक्ति~~ ~~वेदन~~ के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

प्रमुख के
प.क. 21/4/97 स्था. 97

प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विपु

द्वारिका प्रसाद विपु
बिलासपुर म.पु. ॥
दिनांक 21/4/97
बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

॥ 1 ॥ श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 गैररा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 13

// 2 //

21.4.97

॥2॥


कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबंधिता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥3॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का पुति-वेदन के साथ वेतन पची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥4॥


माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरासासन समिति द्वारिका पुरासादन विपु महाविद्यालय को सूचनार्थ।



प्राचार्य एवं सचिव

पुरासासन समिति,

द्वारिका पुरासादन विपु महाविद्यालय,
बिलासपुर।म.पु.।



//नामदेव//




--:: 0 ::--

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SANJAY KUMAR TIWARI
MAHESH PRASAD TIWARI
10/01/1965
Permanent Account Number
ADCPT7057P

Signature



आदेश
=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वल्लभ श्री एम. पी. शर्मा, एम. ए., एम. फिल, पी. एच. डी. अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38 दिनांक 11.8. एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में नियमित लिखित अनुबंधों में नियुक्त किया जाते हैं।

टीप :
====

§ 1 § उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97 के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा मान्य किया है।

§ 2 § उनकी सेवाएं यदि परिवीक्षा अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें कार्यकाल कार्यवृत्ति से बिना लोई पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं तथा संतोष जनक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई करण की पात्रता होगी।

§ 3 § डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेम्नीटी स्टाम्प बाण्ड पर सेवा इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-
प्राचार्य,
द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.
बिलासपुर (म. प्र.)

पृष्ठानुक्रम क्रमांक -----/स्था./97

दिनांक : 1.9.97


प्रतिलिपि :-
=====

॥१॥ डा.के.के. शर्मा सदर्थ सहायक प्राध्यापक डी.पी.विद्यु महाविद्यालय की आवश्यक एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का प्रतिक्रियेदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपरिस्थ मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

॥२॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि.वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/बकादमी/चयन समिति/97 दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।

॥३॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/4897 दिनांक 8.8.97 के संदर्भ में डा.के.के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रतिक्रियेदन ~~आपकी~~ उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।

॥४॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, पुरासन समिति, द्वारिका पुसाद विद्यु महावि. बिलासपुर.


प्राचार्य,
द्वारिका पुसाद विद्यु महावि.
बिलासपुर (म.प्र.)

संलग्न : कुछ नहीं.

//नामदेव//

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **रूपनारायण यादव** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **भूगोल** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312--/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

RUP NARAYAN YADAV


RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K

Signature



11042006

6

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. **एम.एल. जायसवाल** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वनस्पतिशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 30- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ADDPJ66030


MR NAME
MURARILAL JAISWAL

MR OF THE FATHER'S NAME
CHANDIPRASAD JAISWAL

DATE OF BIRTH

DATE OF ISSUE

Murari Lal Jaiswal



28 - 2



भारतीय जनसंघ प्रमाण प्रणाली
भारतीय जनसंघ प्रमाण प्रणाली

पता:

आत्मज: सी पी जायसवाल,
निराला नगर, पुराना बस
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र
की गली, बिलासपुर,
बिलासपुर(त.वि.),
बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C P Jaiswal, Nirala nagar,
purana bus stand ke pass,
rajyog kendra ke gali, Bilaspur,
Bilaspur (T. Vi.), Bilaspur,
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

मेरा आधaar मेरी पहचान

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102-/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

3
28



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 406- /स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



5880000000
0006/02/2019

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 381/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME-TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and notes in Hindi, including "श्री" and "श्री क. री." with a flourish.

Attested True-Copy
SURENDR K SHARMA
NOTARY

JAMSHEDPUR DIST. - BILASPUR
9 NOV 2016

बजाय विचारणु व वयम्
557

Small text at the bottom of the page, possibly a footer or reference number.

(12)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री खगेन्द्र कुमार सोनी को डी. पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 234/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी. पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1966

Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



29102011

[Handwritten signature]

13

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं
आयकर सेवा सेवा इकाई, एन एस डी एल
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबर्स,
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,
बानेर, पुना-411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to

Income Tax PAN Services Unit, NSDL,
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune-411 045

Tel: 91 20 2233 8100 / 2233 721 8081
e-mail: income@nsdl.com

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV

KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

Signature

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



14062011

Sunita Yadav
06/02/19

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **ए. श्रीराम** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **वाणिज्य** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्वचिन्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्वचिन्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अयकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

सहायक प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पुशंकन क्र. 2003/स्थापना/2003-04
प्रमिलिनि

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वारिका प्रसाद शासन, छपरा (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनाार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति


डी.पी. विप्र महाविद्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT OF INDIA



स्थायी पहचान पत्र
Permanent Account Number Card
DGBPS92946



नाम Name
AAYAGARI SHI RAM

पिता का नाम Father's Name
AAYAGARI JAGAN MOHAN RAO

26082018

मिति Date of Issue
07/03/1973

J

15

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री जयन्त राय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2003/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
JAYANTA ROY



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15022013

NY
Signature

कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc



(**डॉ. उमाशंकर शुक्ल**)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 186-1-स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।


(**डॉ. उमाशंकर शुक्ल**)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

भारतीय विधि
INCOME TAX DEPARTMENT
RENU NAYAR
KHARATI LAL CHOPRA
17/11/1970
Permanent Account Number
AMDPNR486C
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
25/12/2015



Signature

Renu Nayar

17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **मनीष तिवारी** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में **रसायनशास्त्र** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्रशासनिक सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 176- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 240/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
 प्रशासन समिति
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.



भारत सरकार
Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा
Oorja Ranjan Sinha
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971
महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार

OR Sinha



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा,
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02
आर.के. नगर बिलासपुर,
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha,
OPP.OM ROYALS, B/8, PHASE 02 R.K.
NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),
Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

OR Sinha

3431 7363 4811

1847
1800 300 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना//2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशीष शर्मा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

O/C

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 2168/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

ASHISH SHARMA
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969
Permanent Account Number

DKSPS1864P


Signature



भारत सरकार
GOVT OF INDIA



11/05/2017

For College


7/2/17

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस.ताम्बोली को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

16/6/03
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14

मधुसुदन तंबोली
Madhusudan Tamboli
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964
पुंन / Male



4112 5267 1018

मेरा आधार, मेरी पहचान

आसकर विभाग
NORTH ZON DEPARTMENT
INDUSTRIAL AREA
MUMBAI




ANEPT 2677D

भारतीय डाक
India Post
भारतीय डाक

एड्रेस: स.ओ. र.स. तंबोल, शिव मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर (म.प्र.), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

Address: S.O. R.S. Tambol, Near Shiv Haruman Mandir, Thak Nagar, Bilaspur (m. Corp), Bilaspur, Bilsapur, Chhattisgarh, 495001



4112 5267 1018

1947

help@india.gov.in

www.india.gov.in

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समितिडी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-15



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभजा पाण्डेय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 180-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shrij
07/02/2021

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/कु. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

शहीर
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

शहीर
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

डा.प
शहीर
31/9/03

Handwritten signature

आपका विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHRITI SOMVANSHI

HARI SINGH CHANDEL

02/08/1973
Permanent Account Number
EUEPSS6495H

Handwritten signature
Signature



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA




22032013



भारत सरकार
Government of India

नमस्कार क्रमा / Enrollment No.: 2017/1976/19/00581

To
श्री श्री सोमवंशी
Shruti Somvanshi
W/O: Ravi Singh
14 Dr. sangal gali veen kuni
vinoba nagar
Bilaspur
Bilaspur
19/07/2014
Chhallisgarh 495001
9827110995
154708580



MLS47085807FT



कार्यालय प्राचार्य डॉ. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपिका निगारी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में 221121 विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रकाशन क्र. 208/स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, 221121 को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Prof. Deepak Tiwari
Deptt. of Chemistry
D.G. Veda College

25

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री **निधीष चौबे** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में **इलेक्ट्रानिक्स** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर **2200-4000** के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. ⁴²¹ ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
Principals
प्रशासन समिति
D.P.V.P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

26

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्री/कु./श्रीमती ~~रश्मि शर्मा~~ **इतिहास** को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 525-स्थापना/2003-04

दिनांक --- 23-6-2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव Principal
प्रशासन समिति P.G. College
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c
S

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



05052011

इस कार्ड के खोने / कतमर कुयया सुकित करे / लोदार
आयकर पैन से ना इकाई, एनएसडीएल
तीसरी मंजील, सफायर चेंबर,
बानेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक,
बानेर, पुना- 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
3rd Floor, Sapphire Chambers,
Near Baner Telephone Exchange,
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-27230811, 27230812, 2721 3381
e-mail: unit@nsdl.com

रश्मि शर्मा

संसाधन विभाग
INFORMATION SYSTEMS
भारत सरकार
GOVT OF INDIA



संसाधन विभाग, १०१
परमार्थिका, आसुत, नंबर कार्ड
DKEPS6821J

पिता का नाम / Father's Name
GAJANAN SHARMA

पिन कोड / PIN Code
210054956



28-20

(27)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. आभा दुबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 70/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु ।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव

डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976
Permanent Account Number
ANEPT2699B


Signature


10052011



28

कार्यालय प्राचार्य
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशुतोष पाण्डेय को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :


- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
ASHUTOSH PANDEY
LAXMI KANT PANDEY
28/04/1977
Furnishing Account Number
AXMP345ZE

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



24072008

Signature

29

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(Handwritten signature)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 43- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(Handwritten signature)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
RAJINI KUMAR



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

STANISLAS KUMAR

11/11/1973

Reference Number
BIUPK3010

Signature

भारत
सरकार



Rajini

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासक समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 46- /स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि:

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Received
10/08/18

25/08/18
जन सूचना अधिकारी
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
10/08/18

16/06/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासक समिति
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

CO
↓
24



(21)

कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र. 542/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 23-6-2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति रानी अफक~~ ~~इतिहास~~ को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
Principal
प्राचार्य एवं सचिव P.G. College
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)
डी.पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

543 & 549


पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003



प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति Principal
D.P.V.P.G. College
Bilaspur (C. G.)
बिलासपुर (छ.ग.)

28
↓
25



कार्यालय प्राचार्य
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 70 447 01- 20/9/03

447

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 20/09/2003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



Shishir Sir
today at 12:26 pm



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
TOSHIMA MISHRA
KRISHNA MURARI SHARMA
15/08/1974
Permanent Account Number
BLKPM2849H

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

08042011

Signature







कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपर्युक्त कॉलेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभासी प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / 01 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed


प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
प्रभात प्राचार्य
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

साथकार विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
VISHWAS VICTOR
VIJAY VICTOR
01/07/1982
Permanent Account Number
AQSPV2824R
Signature



06/02/19

42

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवृत्त

फोन नं. 07762-424407 . Email- dpylpracollege@gmail.com

क. / 03 / रथा. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री **ऋचा हाण्डा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, **कम्प्यूटर विज्ञान** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acad. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

5
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति प्राचार्य
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / रथा. / 2017
प्रतिलिपि :-



01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

5
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
डी. पी. विप्र महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

6/1/20/20
2/2/20

श्रीधर सिंह
INCOMES DEPARTMENT
RIGHANANDA
HARJEET KUMAR NANDA
27/11/1982
PAN Card Number
AOCPH9714G
Signature

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



96122937

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री यूपेश कुमार उम्र 31 वर्ष
निवासी— मकान नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा
जिला— कवर्धा (छ.ग.) पिन— 491559

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

व.के. पण्डे
Notary, Advocate
Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.)



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

- 1 Suhansh Sharma
- 2 Nidhi Chahal

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Arun Kumar Pandey
Notary Advocate
Jr. Distt. Bilaspur (C.O.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला —बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. शिवानी वर्मा उम्र 28 वर्ष
निवासी— सरकंडा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Advocate
Distt. Bilaspur / M.P.

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

• यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कु. शिवानी वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

ARUN KUMAR PANDAY
NOTARY PUBLIC
BILASPUR (C.G.)
Distt. Bilaspur / M.P.
Regd. No. 06-8-1-98

ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Advocate
Distt. Bilaspur / M.P.

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।




अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह
1
2 Dr. Abha Tiwari



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


.....
(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....

अध्यापन कार्य

(Contract for Teaching)



ATUL KUMAR PANDIT
Notary / Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— श्रीमती किरण दुबे उम्र 47 वर्ष
निवासी— कतियापारा जूना बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

ATUL KUMAR PANDIT
Notary / Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)
Regd. No 06-8-1-88
GOVT OF MP

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sushma Sharma

2 Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

107

Varun Kumar Pande
Notary Advocate
Distt. Bilaspur (C.O.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— श्रीमती अंजू तिवारी उम्र 49 वर्ष
निवासी- बिलासपुर
जिला- (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमती अंजू तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिष्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये जाके सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

2 Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

AT

Arav Kumar Pandey
Notary, Adv. & Co.
Distt. Bilaspur (M. C.)

NOTARY
J. K. PANDEY (C.G.)
Resd. No. 06-8-1-80
Distt. Bilaspur (M. C.)

Arav Kumar Pandey
Notary, Adv. & Co.
Distt. Bilaspur (M. C.)

NOTARY
J. K. PANDEY (C.G.)
Resd. No. 06-8-1-80
Distt. Bilaspur (M. C.)

अध्यापन कार्य
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री प्रदीप जायसवाल उम्र 35 वर्ष
निवासी— 102 जेन्स अपार्टमेंट जरहाभाठा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री प्रदीप जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंधित पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Sharma Sharma

2

Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

A

Sarun Kumar Pande
Notary Advocate
Bilaspur (C.O.) Distt

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री सुशील कु. पटेल उम्र 25 वर्ष
निवासी- शिवम विहार सरकंडा बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के सहित निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री सुशील कु. पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Sushma Sharma

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Shateh

Arjun Kumar Panigrahi
Notary / Advocate
Bilaspur Dist. Bilaspur

166

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)




- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. वर्षा सिंह उम्र 28 वर्ष
निवासी— एम. क्यू. 13 वार्ड क्रमांक 13 दीपका कोरबा
जिला— कोरबा (छ.ग.) पिन— 495452

DR. KUNBAT PANDH.
Notary, Adv. & C.A.
Distt. Bilaspur, M.P.

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



DR. KUNBAT PANDH.
Notary, Adv. & C.A.
Distt. Bilaspur, M.P.

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

Arun Kumar Pandey
Notary, A47, Gate
No. 10, Distt. Bilsaspur (C.G.)

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.03.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि अनन्द रहे व वक्त-जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari



2 Sushma Sharma

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

A Singh



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार श्री राहूल साहू उम्र 24 वर्ष
निवासी- बिलासपुर

जिला- (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर -- श्री राहूल साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 M. Sagram Chand



2 Manish Sahu

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Palwal



196

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व.
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. शारदा कटेलिया उम्र 24 वर्ष
निवासी— छोटी कोनी बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495009

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

• यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कु. शारदा कटेलिया को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राध्यापक के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार इलेक्ट्रानिक्स विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

2

Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

dk

190

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व.
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — श्री कुन्दन कुमार उम्र 29 वर्ष
निवासी— कतियापारा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री कुन्दन कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

2


Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर



Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Kandou



K. Pandey
Notary / Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व.

जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार


— कृ. स्वास्तिका जायसवाल उम्र 24 वर्ष

निवासी— चाटापारा

जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के सहित निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कृ. स्वास्तिका जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 40357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

Arjun Kumar Pandey
Notary, Advocate
Distt. Bilaspur

गवाह :-

1


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. C. Tamboli

2 Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. Abha Tiwari



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. निधि दानीकर उम्र 25 वर्ष
निवासी— वार्ड क्रमांक 3 महामाया पारा रतनपुर बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495442

K. PANDEY
Notary
Jilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कु. निधि दानीकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना

K. PANDEY
Notary
Jilaspur (C.G.)

NOTARY

K. PANDEY
JILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-8-1-98

NOTARY

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर

Dr. Anurag Pandey
Notary
Distt. Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व

प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।


NOTARY
.K.PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd.No 06-8-1-98
GOVT OF JHARKHAND

गवाह :-


1

Dr. Anurag Pandey
Notary
Distt. Bilaspur (C.G.)
Dr. Anurag Pandey
1986

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


.....
Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


.....

NOTARY
.K.PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd.No 06-8-1-98
GOVT OF JHARKHAND

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — श्रीमती जीवनप्रभा मोहन्ती उम्र 30 वर्ष
निवासी— दिव्य परिसर लिंगियाडीह
जिला— बिलासपुर. (छ.ग.) पिन— 495006

Arun Kumar Panai
Notary / Advocate
Govt Dist. Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती जीवनप्रभा मोहन्ती को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायनशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम

पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर

अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार,

प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व


प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।




Arun Kumar Pandey
Notary : Adv. : call
Dist. Bilaspur (C.G.)

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Nidhish Chakraborty



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — गेंदलाल उम्र 31 वर्ष
निवासी—वार्ड क्रमांक 5 पुटपुरा बेमेतरा
जिला—बेमेतरा (छ.ग.) पिन— 491340

इपुक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

Varun Kumar Pandey
Notary-Advocate
Civil, Distt. Bilaspur (C.G.)

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. गेंदलाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

Varun Kumar Pandey
Notary-Advocate
Civil, Distt. Bilaspur (C.G.)

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सन्दर्भ रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1

Sushma Devi

OR

2

Nidhish Chauhan (138)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

मैंदलाल बंजारे

Sarun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt Bilaspur (C.O.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व.
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार कृ. दीपाली कुशवाहा उम्र 27 वर्ष
निवासी— गोडपारा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर. (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

• यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कृ. दीपाली कुशवाहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा


वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।


• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।





अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

K. Prandey
Notary & Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)


गवाह :-  1988


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


Dr. M. S. Tamboli


Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर


Deepali Kushwaha



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार -- प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार -- प्रो. प्राची तिवारी उम्र 31 वर्ष
निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाटा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद यह बंधन वक्त पर काम आवें।


गवाह :-

1

Rishma Sharma

2

Nidhish Chauhan



1110

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Poochi

Poochi Tiwari

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — श्रीमती दीक्षा देवांगन उम्र 27 वर्ष
निवासी— बिलासपुर
जिला— (छ.ग.) पिन— 495001

K.PANDEY
Notary, Adm. Code
Distt. Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती दीक्षा देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

K.PANDEY
Notary, Adm. Code
Distt. Bilaspur (C.G.)

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर परामर्शित अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार,

प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व

प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सुनकर रहे व बक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

2

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

शर्मिला दीसा देवांगन



K. Pradeep
Notary, Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)


K. Pradeep
Notary, Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)

Abha Tiwari

191

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. आभा वाजपेयी उम्र 43 वर्ष
निवासी— कतियापारा जूना बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

ATM KUMAR PAND
Notary / Adv. 1019
Dr. D. L. Bhanu (M.A.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. आभा वाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

NOTARY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No. 1019

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम

पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर पराक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार,

प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व

प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि संतुष्ट रहें व अनुबंधित पत्र ज़रूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sushma Sharma

2 Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Abha

Abha

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री ईश्वर सूर्यवंशी उम्र 31 वर्ष
निवासी- डीपु पारा बिलासपुर
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्री ईश्वर सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है. संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

Vaish Kumar Pandey
Notary-Advocate
Dist. Bilaspur (C.G.)



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद यह वक्त जकारत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Rishma Sharma (117)
2. Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(Dr. M.S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Ishwar Prasad Suryawanshi

Sarun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt Bilaspur (C.O.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

MS. KUMAR PANDY
Notary (Adv. 10010)
Distt. Bilaspur (C.G.)

प्राचार्य जी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

— कु. सविता विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष

निवासी- दयालबंद बिलासपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

• यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - कु. सविता विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार समाजशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

• यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Adv. Cate
Distt. Bilaspur (C.O.)

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari


2 Sushma Sharma

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Sanita Vishwakarma



ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Adv. Cate
Distt. Bilaspur (C.O.)

165

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. अंजू कमलेश उम्र 34 वर्ष
निवासी— विजयपुरम सरकंडा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

ANU KUMAR PRASAD
Notary, Adv. & C.A.
Distt. Bilaspur / C.G.

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

• यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कु. अंजू कमलेश को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

ANU KUMAR PRASAD
Notary, Adv. & C.A.
Distt. Bilaspur / C.G.

ANU KUMAR PRASAD
Notary, Adv. & C.A.
Distt. Bilaspur / C.G.

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

S.R. Chandola

2

Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Ausju Kanslesh

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. कांची वाजपेयी उम्र 23 वर्ष
निवासी— वार्ड क्रमांक 17 निरंकारी भवन इमलीपारा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

K. PANDEY (C.G.)
Notary / Adv. 1000
Dist. Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. कांची वाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

K. PANDEY
Notary (C.G.)
Distt. Bilaspur

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सन्द् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Sushma

2

Nidhish Chakraborty

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Kanchi Bajpai

K. PANDEY
Notary (C.G.)
Distt. Bilaspur

K. PANDEY
Notary (C.G.)
Distt. Bilaspur

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)




प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. रूपेन्द्र शर्मा उम्र 37 वर्ष
निवासी— मकान नं 333 नहरपारा भदौरा वार्ड नंबर 18 बहादुर
जिला— बिलासपुर जयरामनगर (छ.ग.) पिन— 495550

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित


शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-



- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. रूपेन्द्र शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. Sushma Sharma
2. Nidhish Chaury

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Purpendra Sharma

Varun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री अंकित बेनर्जी उम्र 26 वर्ष
निवासी— पुराना बस स्टैंड बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री अंकित बेनर्जी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

S. R. Chandgavans

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

2

Manish Sahy

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Manoj
Manoj Benarji

194

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री प्रमोद कुमार नरेश उम्र 35 वर्ष
निवासी— बिलासपुर
जिला— (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री प्रमोद कुमार नरेश को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

S. R. Choudhary

2


Manish Sahu

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

प्रमोद शुभ नरेग



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — कु. प्रशंसा यादव उम्र 24 वर्ष
निवासी— तिलक नगर वासुदवे क्लीनिक के पास
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कु. प्रशंसा यादव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Vidhish Chaur

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Rashansa Yadav

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर उम्र 27 वर्ष
निवासी— नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायनशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Sushma Sharma

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

P.C.
प्रो. प्रफेसर राम चंद्र 162

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

—

प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व.

जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. मेघा दाबड़कर उम्र 56 वर्ष

निवासी- बिलासपुर

जिला- (छ.ग.) पिन- 495001



द्वितीय पक्षकार

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - डॉ. मेघा दाबड़कर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



K. PANDEY
Notary
Bilaspur (C.G.)
Regd. No. 06-8-1-88

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उभरोबले अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 S.R. Chandra

2 Manish Sahy

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. TamLali

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

मेधा कामंडकर

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री सुचित दुबे उम्र 27 वर्ष
निवासी— कडार चकरभाठा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495220

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री सुचित दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 S.R. Chandraswami;

1

2 Dr. Abha Tiwari

2


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SUCHIT DUBEY

ARUN KUMAR PANDU
Notary / Adv. & Co.
Dist. BILASPUR (M.P.)
179



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्रीमती संचिता पण्डा उम्र 26 वर्ष
निवासी— बिलासपुर
जिला— (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती संचिता पण्डा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.

एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार,

प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abhaliarani

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamhaji

2 Manish Sahu

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Sanchita Panda
Sanchita Panda

VEN KUMAR PANDA
Notary / Adv. & Co.
Dist. Bilaspur (C.G.)

175

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. अभिलाष अवस्थी उम्र 30 वर्ष
निवासी— टिकरापारा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. अभिलाष अवस्थी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रबंधन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 04.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari



2 Nidhish Chahal

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Abhilash Awasthi



169

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. शिखा पाण्डेय उम्र 27 वर्ष
निवासी— संत कबीरदास महिमानगर सिरगिट्टी
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495004

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. शिखा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान

सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना

Arun Kumar Pandey
Notary, A.C. No. 10357
Distt. Bilaspur / M.P.

Arun Kumar Pandey
Notary, A.C. No. 10357
Distt. Bilaspur / M.P.

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सदैव यह वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Sushma Sharma
2. Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Shikha Pandey

Arjun Kumar Pandey
Notary, Adv. & Co.
Distt. Bilaspur

ARJUN KUMAR PANDAY
Notary, Adv. & Co.
BILASPUR (C.G.)
Read No 06-8-1-98

Arjun Kumar Pandey
Notary, Adv. & Co.
Distt. Bilaspur

138

ARJUN KUMAR PANDAY
Notary, Adv. & Co.
BILASPUR (C.G.)
Read No 06-8-1-98

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. बृजेश कुमार उम्र 30 वर्ष
निवासी— वार्ड नं 4 लीला मंडली चौक भिलौनी जांजगीर
जिला— चांपा (छ.ग.) पिन— 495554

Varun Kumar Pandey
Notary-Advocate
Civil, Distt. Bilaspur (C.G.)


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

Varun Kumar Pandey
Notary-Advocate
Civil, Distt. Bilaspur (C.G.)

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1

Sushma Chandel

or

2

Nidhi Chandel (125)



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]
Brijesh Kumar

Varun Kumar Pande
Notary Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, सह ब
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्रीमती अभिलाषा सिंह उम्र वर्ष
निवासी— महर्षि स्कूल रोड मंगला
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती अभिलाषा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा खर्च 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

K. PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-B-1-58

K. PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-B-1-58

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

K. PANDEY
Notary, Adv. 1986
Distt. Bilaspur

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सन्दर्भ रहे व भविष्यतः जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varshni

K. PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-8-1-98

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Abhilasha Singh

K. PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-8-1-98

K. PANDEY
Notary, Adv. 1986
Distt. Bilaspur

187

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. भागवत कौशिक उम्र 31 वर्ष
निवासी— चौधरी गली इमलीभाठा बधवापारा सरकंडा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

Darun Kumar Pandey
Notary - Advocate
Civil, Distt. Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिष्मक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sushma Sharma

2 Nidhish Chauhan (123)



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


Dr. M.S. Tamoli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

श्रीमती कौशिक

Sarun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt. Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्रीमती ज्योति तिवारी उम्र 39 वर्ष
निवासी-- रामश्याम कुंज गोड़पारा गोलबाजार
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

Dr. P. K. Purohit
Notary / Adv. & Co.
Bilaspur (C.H.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्रीमती ज्योति तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sushma Shom

2 Nidhish Chaudhary



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. Jyoti Tiwari

Varun Kumar Pande
Notary Advocate
Distt Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. रोशनी सोनी उम्र 26 वर्ष
निवासी— पुराना पॉवर हाउस देवरीखुर्द
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

HIRSHIBHAI GADGI
Notary
Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. रोशनी सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।




यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sukanya Sharma

2 Nidhish Chauhan



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Rashmi Soni

Sarun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt Bilaspur (C.G.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. दीपक कुमार कश्यप उम्र 27 वर्ष
निवासी— 351 घिवरा जांजगीर चांपा
जिला— जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन— 495661

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. दीपक कुमार कश्यप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

• यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

• यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार,

Arun Kumar Pandey
Notary / Advocate
Jalgaon District, Bilaspur / G.

प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय,

दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर

कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. Sushma Sharma
2. Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M.S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Deepak Kumar Keshyap

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. नीलम सिंह सिंघेल उम्र 28 वर्ष
निवासी— टिकरापारा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

K. Pandey
Notary / Adv. scale
Distt. Bilaspur (M.P.)



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. नीलम सिंह सिंघेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Sushma Sharma

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M-S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Neelam Singh

Notary, Advocate
Distt. Bilaspur (C.O.)

170

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. शुभानी सिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष
निवासी— सिटी कोतवाली के पीछे रोड नंबर 2 तेलीपारा बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. शुभानी सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

K. PANDEY
Notary Public
Bilaspur (C.O.)

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Adv. 10410
Distt. Bilaspur (C.G.)

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज

दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Sushma Sharma

2 Nidhish Chakraborty

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Shubhami Singh

ARUN KUMAR PANDAY
Notary / Adv. 10410
Distt. Bilaspur (C.G.)

150

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार प्रो. अंजली सोना उम्र 29 वर्ष
निवासी— हेमुनगर बिलासपुर
जिला— बिलासपुर. (छ.ग.) पिन— 495001

ANIL KUMAR PANDY.
Notary / Adv. & Co.
Distt. Bilaspur / C.G.

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

• यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 Dr. Abha Tiwari

2 Nidhish Chaur

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

ANJALI SONA

ARUN KUMAR PANDEY
Notary, Adv. & Co.
Distt. Bilaspur
171

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य जी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. प्रकाश चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष
निवासी— विष्णु चौक यादव मौहल्ला तिफरा
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित

शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. प्रकाश चतुर्वेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

J. K. PANDEY
Notary, A. S. Road
Distt. Bilaspur (C.G.)

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

Sushma Sharma

Nidhish Chauhan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

Prakash Chaturvedi

NOTARY
J. K. PANDEY
BILASPUR (C.G.)
Regd. No 06-8-1-98
GOVT OF CHHATTISGARH

119

J. K. PANDEY
BILASPUR
Regd. No 06-8-1
GOVT OF CHHATTISGARH

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 38 वर्ष
निवासी— 53 वार्ड क्रमांक 3 मोहनपुर पोस्ट फुलवारी मुंगेली
जिला— मुंगेली (छ.ग.) पिन— 495115

V.K. PANDEY
Notary
Bilaspur (C.G.)

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — प्रो. मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति विज्ञान विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।




- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



- यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वेक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. Sushma Sharma ^{for}
2. Pidhish Chaury ^{on}

118

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Dr. M. S. Tamboli

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Motilal Patel

Arun Kumar Pandey
Notary Advocate
Distt. Bilaspur (C.N.)

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — श्री लोकेश कुमार वर्मा उम्र 31 वर्ष
निवासी— लालखदान बिलासपुर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.) पिन— 495004

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — श्री लोकेश कुमार वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

Dr. Arun Kumar Pandey
Notary, Bilaspur
Hindi Dialect, Bilaspur

Dr. Arun Kumar Pandey
Notary, Bilaspur
Hindi Dialect, Bilaspur

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर प्रथम पक्षकार को यह अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

NOTARY
K. PANDEY
REGD. NO. 06-8-1-98
BILASPUR (C.G.)
Notary / Adv. cells
Distt. Bilaspur (C.G.)

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2023 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1

2

[Signature]
Dr. Abha Tiwari

NOTARY
K. PANDEY
REGD. NO. 06-8-1-98
BILASPUR (C.G.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]
.....
(Dr. M. S. Tamboli)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]
.....
लोकेश कुमार वर्मा

NOTARY
K. PANDEY
REGD. NO. 06-8-1-98
BILASPUR (C.G.)
Notary / Adv. cells
Distt. Bilaspur (C.G.)

176